

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2010

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

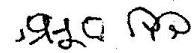
वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था, शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561/दस-62(एम)/2008 दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा की गयी है। उक्त शासनादेश द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य कराये जाने में स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है।

2- उक्त संदर्भ में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राप्त संदर्भ बिन्दुओं पर निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्बन्धित कार्मिकों को तदनुसार समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ की स्वीकृति दी जाय और यदि इस विषय में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

संदर्भित बिन्दु	स्पष्टीकरण
1. शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर देय लाभ की अनुमन्यता एक ही तिथि को होने की स्थिति में सम्बन्धित पदधारक को दोनों लाभ उसी तिथि को दिये जा सकते हैं अथवा नहीं ?	समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत यदि सम्बन्धित पदधारक को प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ एक ही तिथि को देय होता है तो यह मानते हुए कि उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ एक ही तिथि को देय होने पर सम्बन्धित पदधारक को यह मानते हुए कि द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है और उसे केवल तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही अनुमन्यता की तिथि को देय होगा।
2. द्वितीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पद पर कार्यरत कतिपय कार्मिकों को 26 वर्ष की अनवरत संतोषजनक	ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तर-1(7) के परन्तुक में यह प्राविधान उल्लिखित है कि इस व्यवस्था के

सेवा पूर्ण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम श्रेणी के पद पर कार्यरत अधिकारियों से उच्च ग्रेड वेतन की देयता बनती है। इस प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों से कनिष्ठ अधिकारियों का ग्रेड वेतन उच्च हो सकता है अथवा नहीं?	अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च ग्रेड वेतन की माँग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार सेवावधि पर देय ए०सी०पी० का लाभ का कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।
3. शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 द्वारा की गयी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन के अन्तर्गत देय लाभों के साथ वेतन बैंड परिवर्तित हो सकता है अथवा नहीं ?	शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 द्वारा की गयी ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनांक 01 जनवरी 2006 एवं दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) यदि उसी वेतन बैंड में प्राविधानित है तो वेतन बैंड अपरिवर्तित रहेगा। परन्तु उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अनुमन्य कराया गया अगला ग्रेड वेतन (अथवा दिनांक 01 जनवरी 2006 एवं दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व की अवधि में अनुमन्य कराये गये पदोन्नति पद के वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन) अगले वेतन बैंड का है, तो वेतन बैंड परिवर्तित होगा।
4. नियमित सेवा के साथ ही साथ निरन्तर की गयी तदर्थ सेवाओं को वित्तीय स्तरोन्नयन की गणना में लिया जायेगा अथवा नहीं ?	यदि सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को धारित पद के सापेक्ष समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त लाभ के कारण वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत है तो पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त वैयक्तिक वेतनमान की अनुमन्यता हेतु जिन निरन्तर संतोषजनक सेवाओं को गणना में लिया जा चुका है, ए०सी०पी० की व्यवस्था में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता हेतु ऐसी सेवाओं को गणना में लिया जायेगा।

भवदीय,



(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव।

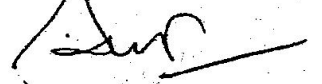
संख्या-वे०आ०-2- 3012 (1)/दस-62(एम)/2008, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ० प्र० इलाहाबाद।

- 2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7— समस्त मुख्य/परिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8— उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10— गार्डबुक।

आज्ञा से.



(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।